(180)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1793-दो/2010 निगरानी - विरूद्व आदेश दिनांक 24-11-2010 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 666/07-08 निगरानी

हरिवॅश पुत्र बबई वानी ग
निवासी खटकरी हाल निवास धरमपुरा
तहसील हनुमना जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्व

1- उमेश कुमार 2- नंदलाल पुत्रगण बीरभान कुर्मवंशी
ग्राम देवारा तहसील हनुमना जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 17 - 8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 666/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-11-2010 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने स्वयं् के नाम की भूमि ग्राम खटकरी स्थित सर्वे कमांक 3225 रकबा 0.29ए. के सीमांकन की प्रार्थना की। तहसीलदार वृत्त खटकरी ने प्रकरण कमांक 30 अ-3/2005-06 पॅजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराकर आदेश दिनांक10-3-2007 पारित

करके भूमि सर्वे नंबर 3225 का सीमांकन एंव नक्शा तर्मीम सॅशोधन स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 172/अ-3/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-5-2008 से निगरानी स्वीकार की एंव तहसीलदार का आदेश दिनांक 10-3-07 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि समस्त हितधारी/सरहदी कृषकों को तथा सहभूमिस्वामियों को विधिवत् सूचना दी जाकर स्थल निरीक्षण किया जावे एंव मौके की स्थिति अनुसार तरमीम प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही की जावे। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्र0क्र0 666/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-11-2010 से निगरानी निरस्त की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि आवेदक द्वारा ग्राम खटकरी की आराजी क्रमांक 3225 रकबा 0.29ए. के सीमांकन वावत् आवेदन देने पर तहसीलदार वृत्त खटकरी ने प्रकरण क्रमांक 30 अ-3/2005-06 पॅजीबद्ध किया है। तहसीलदार का प्रकरण 21-6-2005 से लम्बित कर दिया गया एंव स्थल की जॉच के लिये नियत किया जाता रहा है । पेशी 21-12-05 की आर्डरशीट में अंकित है कि आवेदक उपस्थित । पटवारी हलका नक्शा मौके पर उपस्थित रहे। वास्ते स्थल निरीक्षण हेतु 28-12-08 - इसके वाद प्रकरण 10-3-07 को स्थल निरीक्षण एंव नक्शा तरमीम प्रस्ताव तैयार करने के लिये नियत किया गया एंव दिनांक 10-3-07 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रकरण में मनमानी कार्यवाही करना पाने के कारण

अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 172/अ-3/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-5-2008 से तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुये हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु एंव स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार नक्शा तरमीम कार्यवाही के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष न होने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 24-11-2010 में अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 666/ 07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-11-2010 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर